तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.08.2024	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के वकील उपस्थित। दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंऊ तहसील सिवाना की खसरा संख्या 250/22 रकबा 03.0837 हैक्टयर (19.01 बीघा) भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 1000 /— रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे।तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.11.17 15:41:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक/2024/850 दिनांक : 06-09-2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
आम्बाराम पुत्र जगनाराम वगैरह		राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं 45/2020 दिनांक :– 23.08.2024

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम पंऊ तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 250/22 रकबा 03.0837 हैक्टयर (19.01 बीघा) भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 1000/–प्रार्थी अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांक: वाचक /2024/851 दिनांक : 06-09-2024

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी पंऊ को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी आम्बाराम पुत्र जगनाराम जाति रबारी निवासी पंऊ तहसील सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.11.17 15:41:32 IST
Reason: SelfAttested